

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 140/2017

दायर दिनांक:- 20.08.2017

जीसीएमएस नं. 2017/00250

उनवान

हीरालाल पुत्र कुन्दनसिंह जाति माली निवासी शाहगंज मालीपाडा कचहरी के नीचे
हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर करौली जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-02


दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 140/2017 हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

